

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
ओम्पकाश

उनवाव संख्या: बनाम
.....

21.1.21

मुकदमा नं० 03/2018 निर्णय दि० 21.1.21

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुयी। उपायपत्रा के
 क्लेम के तथ्यों पर गौर किया गया।
 अपीलार्थी ओम्पकाश का आरोह रहा कि गृह्य
 पंचायत गीखवा 6 द्वारा नं. सं. 3410 दि.
 8.11.2016 को विना किसी आधीकारिता के
 खारिज किया है।
 अपीलार्थी के अनुसार खाता सं. 627 में दि. 23.8.95
 के बैलनामों के आधार पर नं. सं. 1583 दि 23.11.95
 को नं. तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया।
 23.8.95 के बैलनामों को ADJ न्या. द्वारा खारिज
 कर दिया गया। ADJ न्या. के अंत निर्णय के
 आधार पर तहसीलदार द्वारा पत्रांक LR/2016/3005
 दि. 4.11.16 को पठहो को नामान्तरण करने वास्त
 लिखा। पठहो ने अंत आदेश की पालना में नं.
 सं. 3410 अरकर गृह्य पंचायत से स्वीकृत
 करवा लिया।
 अपीलार्थी के अनुसार ~~अंत~~ बैलनामों नामान्तरण
 न्या. ADM तक लाल रखा गया अतः नियमानुसार
 अंत खारिज किया जाना चाहिए।
 ही खारिज किया जाना चाहिए।
 बैलनामों दि. 23.8.95 का वजूद आज दि. को
 नहीं रहा है तथा ADJ न्या. के निर्णय की पालना
 में तहसीलदार द्वारा पठहो को नामान्तरण वास्त
 लिखा गया है।
 अतः अपील नामान्तरण सारहीन होने के कारण
 अलीकार की जाती है।
 निर्णय आज दि. 21.1.21 को खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

(Handwritten Signature)
 (खारिज/निर्णय)

उपसुब्ब अधिकारी
सिक्कराय जिला-दौसा